न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/77/2019

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री प्रतापसिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.)–301701		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

प्रवेश तिथि 21.08.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 29.08.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 17.07.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में कार्यरत रहे कार्मिक श्री जसवन्त यादव, कनिष्ठ लिपिक से संबंधित बिन्दूओ सं. 1 व 2 पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 17.07.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.08.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/1220–21 दिनांकः 26.08.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 17.07.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः लोक सूचना/2019/1157 दिनांकः 19.08.19 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है, जो आवेदन अनुसार है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

9. किन्तु आवेदन दि. 17.07.19 पर किया गया विनिश्चय निर्धारित समयावधि के पश्चात् व अपील प्रा0पत्र की दि. 19.08.19 को किया गया है। यहॉ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

10. उक्त आलोक में प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)